न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 44/2025 बउनवानी देवीलाल बैरवा **बनाम** तहसीलदार चौथ का बरवाडा
पुत्र श्री सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा, सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 140

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर'' *नाहरी कलां की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि ख0न0 464 रकबा 0.1100, ख0न0 535 रकबा 0.2100 है0 पांच्या पुत्र भूरया बैरवा, ख0न0 465 रकबा 0.रकबा 0.2500 है0 अमरया पुत्र मोहन्या बैरवा के नाम आवंटन की गयी थी उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित सूचना* '' तहसीलदार चौथ का बरवाडा से दिलायें जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2025/351 दिनांक 16.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिंनाक 24.04.2025 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा आवंटन आदेश दिनांक,आवंटन अधिकारी/कार्यालय का नाम इत्यादि अंकित नही है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। उक्त संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 173 दिनांक 2.5.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवाना बताया गया है जो उचित नही है क्योकि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में गांव का नाम व ख0न0 एवं रकबा इत्यादि स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। अतः उक्त ख0न0 के किये गये आवंटन आदेश की तलाश करवायी जाकर आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश कि साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.08.29 17:12:42 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner